भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1817
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

विधिक शिक्षा

1817. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी :

श्री रघु राम कृष्ण राजू :

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभ्यास और सिद्धांत सहित विधिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या विधिक संस्थान, आने वाले दशकों में देश के कानूनी परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने में सक्षम हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) के प्रयोग के मिश्रित परिणाम निकले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) ने सूचित किया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा विहित विधिक शिक्षा नियमों के अनुसार, एलएल.बी. तीन वर्षीय कोर्स और एलएल.बी. पांच वर्षीय कोर्स, मानद और गैर-मानद, दोनों के लिए पाठ्यक्रम दूसरी अनुसूची, नियम 2 में दिया गया है, जो निम्नानुसार है :--

> **2. विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व :** कोई विश्वविद्यालय, एलएल.बी. और एलएल.बी. मानद कोर्स के अधीन अकादमिक कार्यक्रम के साथ-साथ, स्नातक उपाधि संघटक में एकीकृत डिग्री कार्यक्रम के अधीन कार्यक्रम के साथ-साथ, मानद कोर्स के साथ या/और उसके बिना एलएल.बी. संघटक को तैयार करने के लिए स्वतंत्र है । तथापि, एलएल.बी. कोर्स के अंतर्गत इस अनुसूची के अधीन यथा नियत कोर्स होंगे ।

दूसरी अनुसूची, नियम 24 के अनुसार विस्तृत सिद्धांत के अलावा, विधिक शिक्षा का व्यवहारिक पहलू भी दूसरी अनुसूची, नियम 24 के अंतर्गत आता है, जो निम्नानुसार है :--

> **24. मूट कोर्ट अभ्यास और इंटर्नशिप :**

इस पेपर में, तीन संघटक, प्रत्येक 30 अंकों का, तथा 10 अंकों की एक मौखिक परीक्षा हो सकेगी ।

(क) मूट कोर्ट (30 अंक)

(ख) अंतिम दूसरे या तीसरे वर्ष में एलएल.बी. छात्र द्वारा दो मामलों, एक सिविल और दूसरा दांडिक, के विचारण का प्रेक्षण (30 अंक)

(ग) साक्षात्कार तकनीकी और विचारण-पूर्व तैयारियां तथा इंटर्नशिप डायरी (30 अंक)

(घ) उपरोक्त सभी तीनों पहलुओं पर मौखिक परीक्षा (10 अंक) ।

इसके अतिरिक्त, नियम 11 के अनुसार संस्थाओं के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा वरिष्ठ संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण के अधीन चल रहे सभी विधिक शिक्षा केंद्रों में विधिक सहायता क्लीनिक का प्रावधान है । विधिक सहायता क्लीनिक का उद्देश्य अंतिम वर्ष के छात्रों को सम्मिलित करना तथा निकटवर्ती पास-पडोस के लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है ।

बीसीआई द्वारा यह और भी सूचित किया गया है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथाविहित विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानद कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के लिए ऐसे पेपरों में विषय-विशेषज्ञता का नया समूह जोड़ने के लिए गुंजाइश भी होती है, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर नियत किया जाए ।

******